>

Title: Need to provide remuneration to the Panchayat representatives in Jharkhand and other parts of the country.

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति जी, मैं शून्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं। मेरे राज्य झारखंड प्रदेश में 32 साल के बाद पंचायत के चुनाव हुए हैं। जिस उद्देश्य से पंचायती राज अधिनियम, भारत सरकार द्वारा कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि गांव का विकास न जिला प्रशासन से होगा न राज्य सरकार से होगा। अगर गांव का विकास करना है, तो गांव को अधिकार देना होगा। इसी अधिकार के तहत झारखंड में पंचायती राज अधिनियम, 2005 में बना और वहां चुनाव हुआ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य में पंचायत का चुनाव हुए तीन साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक वहां मुखिया का क्या अधिकार होगा, पंचायत समिति के क्या अधिकार होंगे, प्रमुख का क्या अधिकार होगा, जिला पार्षद का क्या अधिकार होगा और कस्बे, गांव में जो वार्ड कमेटी बनायी गयी है, उस वार्ड कमेटी का क्या अधिकार होगा? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You tell me what you want. You have gone on telling about the power. That is not the issue. You tell what your demand is.

श्री कामेश्वर बैठा : हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार ने नियम के तहत पंचायती राज का गठन किया है। उसने पंचायती राज का इसलिए गठन किया है, ताकि गांव का विकास हो सके। अब गांव का विकास तभी संभव है जब गांव को अधिकार दिया जायेगा। उसी अधिकार के तहत पंचायती राज का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक वहां कोई अधिकार नहीं मिला है। उनका क्या अधिकार है? भारत सरकार तुंत झारखंड सरकार को निर्देशित करे और उनको अधिकार दे, मैं यही मांग करना चाहता हूं।